राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3091/2023

प्रधान सिंह गुर्जर (कर्मचारी आईडी–आरजेकेए201026007569)

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर, राजस्थान।
2. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज., जयपुर।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सम, मुख्यालय जैसलमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.11.2023
आदेश की दिनांक : 17.11.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी ने आलोच्य आदेश दिनांक 30.10.2023 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के अंतर्गत निलम्बित किया था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी का निलम्बन प्रशासनिक विभाग द्वारा किया गया है। ऐसे में कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 12.04.2022 के अनुसार अपीलार्थी के निलम्बन की पुष्टि हेतु 15 दिवस में प्रस्ताव कार्मिक विभाग को प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, परंतु प्रशासनिक विभाग ने कार्मिक विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया। ऐसे में परिपत्र दिनांक 12.04.2022 की अवहेलना की गई है।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 12.04.2022 के अनुसरण में गंभीर वित्तीय

अनियमितताएं होने के कारण आवश्यक परिस्थितिवश सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरांत ही शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग के स्तर से आदेश जारी किया गया है तथा उक्त निलंबन आदेश की पुष्टि हेतु प्रकरण कार्मिक विभाग को भिजवाया जा चुका है। अपीलार्थी पर वर्तमान में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 में कार्यवाही प्रस्तावित है।

4. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानूपर्वक अवलोकन किया। अपीलार्थी के निलम्बन आदेश दिनांक 30.10.2023 के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलार्थी निलम्बन आदेश की पुष्टि हेतु प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजा जा चुका है। ऐसे में यह नहीं माना जा सकता है कि कार्मिक विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 12.04.2022 की अवहेलना हुई हो।

5. अतः उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए हम इस स्तर पर इस अपील में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। परिणामस्वरूप यह अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)